राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1275/2021

संतोष कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.02.2021

आदेश की दिनांक : 29.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान 3050–4050, 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान 4000–6000 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान 5000–8000 का लाभ प्रदान किया जावे तथा वेतनमान निर्धारण करते हुये शेष राशि मय ब्याज भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1965 में मलेरिया वर्कर के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 09.07.1981 के द्वारा नियुक्ति दिनांक से स्थायी किया गया। राज्य सरकार द्वारा

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया, जिसमें कार्मिकों की 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया। उनका कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1068/2014 गोविन्द दान चारण बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2005 में चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश फरमाया गया और अधिकरण द्वारा पूर्व में उक्त लाभ दिये जाने के संबंध में आदेश फरमाये गये और इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिव दयाल शर्मा वाले मामले में भी आदेश उक्त लाभ दिये जाने के सुनाये गये और इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त चयनित वेतनमानों का लाभ प्रदान किये जाने से वंचित किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान 3050–4050, 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान 4000–6000 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान 5000–8000 का लाभ प्रदान किया जावे तथा वेतनमान निर्धारण करते हुये शेष राशि मय ब्याज भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी को नियमानुसार चयनित वेतनमानों का लाभ प्रदान किया जा चुका है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। अपीलार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है, वह नियमानुसार उचित नहीं है और इस प्रकार अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1965 में मलेरिया निर्वाहक कार्यकर्ता के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 09.07.1981 के द्वारा नियुक्ति दिनांक से स्थायी किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया, जिसमें कार्मिकों की 9, 18 एवं 27 वर्ष की

सेवा पूर्ण होने पर उक्त लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1068/2014 गोविन्द दान चारण बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2005 में चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश फरमाया गया। जहां तक अपीलार्थी को मलेरिया निर्वाहक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियुक्ति दिनांक से नियमित करने उपरांत 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण उपरांत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का नियमानुसार लाभ प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मलेरिया निर्वाहक कार्यकर्ता के पद पर हुई थी और उसे आदेश दिनांक 09.07.1981 के द्वारा स्थायी किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.07.1992 के द्वारा कई पदों को एक साथ जोड़कर मल्टी पर्पज वर्कर और अन्य कई नए पदनाम दिए गए। परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी भी नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य सरकार के नियमों एवं उक्त न्यायिक विनिश्चयों के अनुसार उक्त चयनित वेतनमानों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इस अधिकरण ने समय–समय पर अभ्यर्थीगण को उक्त वेतन श्रृंखलाओं के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित किए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मत में साम्यता के सिद्धांत के आधार पर अपीलार्थी को भी 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान क्रमशः 975–1720, 1200–2050 (संशोधित वेतन श्रृंखला 4000–6000) एवं 1640–2900 (संशोधित वेतन श्रृंखला 5500–9000) मय स्वीकार किया जाना चाहिए।

यहां यह उल्लेखनीय है कि चयनित वेतनमान के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार बनाम जगदीश प्रसाद (एआईआर 2010 एससी 157) में यह अभिनिर्धारित किया है कि कर्मचारीगण चयनित वेतनमान का लाभ नियमित नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना करते हुए प्राप्त करने के अधिकारी हैं और इस प्रकार उक्त निर्णय के अनुसार अपीलार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा

पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान 975–1720, 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान 1200–2050 (संशोधित वेतन श्रृंखला 4000–6000) एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान 1640–2900 (संशोधित वेतन श्रृंखला 5500–9000) में अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए स्वीकार किया जावे और उक्त वेतन श्रृंखलाओं की समरूपी संशोधित वेतन श्रृंखलाओं में अपीलार्थी का वेतन निर्धारण करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य